

05/11/26

पत्रा पेश हुये पार्थी वकील उपरोक्त तन्वी हेतु मौका
चाहा गया पूर्व में अनेक अवसर दिए जा चुके
हैं। अन्य अवसर दिए जाना उचित नहीं है।
अतः पत्रा अदम परवी में C.P.C के नियम ०१२
के तहत खारिज की जाती है। पत्रा अंमल
शुमार होकर दायित्व दफ्तार हो।